

Order of Proceedings with साथिक मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास के साथ
 of 20 34/1/16 Signature of
 Parties of
 Pleaders where
 Necessary

आप आरक्षी के मामनपुर के उपनिरीक्षक / सहायक
 उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक 03 इन्सिड
 को 12/1/16 द्वारा शान्त धारा 34 भा. से अपराध
 को 12/1/16 आतंकी धारा 34 भा. अधिनियम के अधीन दण्डनीय
 अपराध के संबंध में अभियुक्त / अनियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
 पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।
 राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 से उप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण विजयभारा 5/10 मजानका
उरु - 46 सा
 शाना मामनपुर जिला मिठ राज्य मिठ से अधिवक्ता
 उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण के ओर से अधिवक्ता
 की मामनपुर द्वारा मेमोरण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत
 किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार मामला नं0 5/10 मजानका के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) ए0पी0ओ0 के अधीन मामला नं0 का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन मामला नं0 60034/1/16 में दर्ज किया जाने।

अभियुक्त / अभियुक्तगण उप0। के अधीन प्रावधानों के प्रकार में अभियोग पत्र के अनुसार निशुल्क दिलाया

मामनपुर जिला
 मिठ राज्य
 मिठ से अधिवक्ता

विजयभारा

मूक्ति मागला सशित विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण के
किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के
धारा 34 Cr.P.C. भा0दं0सं0/
अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त
को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध
करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक यथा संभव उसके
शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की
स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रस्तुत रहे दण्डित
कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुदांकित कर घोषित किया गया।
अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय
अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500/- रुपये
के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम
की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण
कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली
जाये।

जप्तसुदा संपत्ति..... रुपये राजसात
विजो जायें। संपत्ति..... मूल्यहीन होने से नष्ट कर
व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी
को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया
जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के
आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित
अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत
अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि
500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक
क0 5624 रसीद क0 83 दी गई।

अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगतान गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचालित हो।

विद्यमान 218

गोहाद जिला
महोदय
गोहाद जिला
महोदय